भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 651

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

नर्मदापुरम-पिपरिया-करेली राज्य राजमार्ग

651. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाले नर्मदापुरम-पिपरिया-करेली राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या उक्त राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार को मध्य प्रदेश सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से राज्यीय राजमार्गों (एसएच) सहित राजकीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के रूप में घोषित करने/ उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए व्यापक सिद्धांतों की पूर्ति, कनेक्टिविटी की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। वर्तमान में, नर्मदापुरम पिपरिया करेली राज्यीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

अप्रैल, 2014 से मध्य प्रदेश राज्य में राज्यीय राजमार्गों सहित लगभग 3,881 किलोमीटर लंबाई की राजकीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है।

*****